

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan
website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: nssceraj@gmail.com Ph.: 8377917640

क्रमांक : एफ.8(7)कैलेण्डर / एनएसएस / आकाशि / 2022 /

दिनांक : अगस्त, 2024

प्राचार्य,
समस्त राजकीय / निजी महाविद्यालय,
(एन.एस.एस. से सम्बन्धित)
राजस्थान |

विषय :- सत्र 2024–25 हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों का वार्षिक कैलेण्डर।

सन्दर्भ :-राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-4-अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर के पत्र
क्रमांक प.2(9)शिक्षा / 4-अ / 2023 जयपुर दिनांक 08.07.2024.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के साथ सत्र 2024–25 हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की गतिविधियों के संचालन के लिए वार्षिक कैलेण्डर युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली से अनुमोदन पश्चात् प्राप्त हुआ है। वार्षिक कैलेण्डर को आयुक्तालय की वेब-साईट पर अपलोड कर प्राचार्य, सम्बन्धित जिला समन्वयक एवं कार्यक्रम अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि इसका आद्योपन्त अध्ययन कर इसकी अक्षरशः पालना सुनिश्चित कर संलग्न परिशिष्ट-1 में चाही गई सूचना बिन्दु संख्या 1 से 25 कॉलम में भरकर तथा सत्र 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट की Scanned Copy दिनांक 05 सितम्बर, 2024 तक राज्य समन्वयक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को जरिये ई-डाक के भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(डॉ. कृष्ण कुमार कुमावत)
राज्य समन्वयक

प्रतिलिपि –

- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
- राज्य सम्पर्क अधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4-अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- सम्बन्धित जिला समन्वयक, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि आपके अधीन महाविद्यालयों में सत्र 2024–25 हेतु जारी वार्षिक कैलेण्डर की पालना अक्षरशः सुनिश्चित करावें एवं संलग्न परिशिष्ट 1 में बिन्दु संख्या 1 से 25 कॉलम में चाही गई सूचना भरवा कर तथा सत्र 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट की Scanned Copy दिनांक 05 सितम्बर, 2024 तक राज्य समन्वयक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को जरिये ई-डाक के भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को अपलोड / ई-मेल हेतु।

Signature valid
(डॉ. कृष्ण कुमार कुमावत)

Digital signed by Krishan Kumar
Kumawat
Designation : Assistant Professor
Date: 2024.08.29 10:17:02 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान
जयपुर



शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए
एन.एस.एस.
गतिविधियों की कार्य योजना

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

शैक्षणिक सत्र 2024–25 के लिए एन.एस.एस.गतिविधियों की कार्ययोजना

महाविद्यालयों में युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ हेतु निर्धारित पृथक् सूचना पट्ट पर एन.एस.एस. की इस वार्षिक कार्ययोजना की प्रति चर्चा करें एवं समय—समय पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों की सूचना पर्याप्त समय पूर्व एवं सम्पन्न कार्यक्रम की संक्षिप्त जानकारी भी चर्चा की जाये ताकि सभी विद्यार्थी प्रेरित एवं लाभान्वित हो सकें।

राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme)

"मैं नहीं आप" (Not me but you) ध्येय वाक्य के आधार पर राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य 1969 से अनवरत जारी है लेकिन भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, युवा कार्यक्रम विभाग के पत्र क्रमांक.A-12041-2/2020 एन .एस .दिनांक: 11.8.2020 के तहत हिन्दी में ध्येय वाक्य "स्वयं से पहले आप" कर दिया गया है। इसका प्राथमिक उद्देश्य समाज सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों का व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण करना है। राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य है कि इसके अन्तर्गत कार्य करने वाले स्वयंसेवक

-
- 1. अपने समाज और उसके परिप्रेक्ष्य में स्वयं को समझें ।
- 2. समाज की आवश्यकता और कठिनाइयों को निकट से देखें, समझें और उनके समाधान का अंग बनें ।
- 3. स्वयंसेवकों में समाज और राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों का बोध हो ।
- 4. अपनी शिक्षा एवं ज्ञान का उपयोग व्यक्ति और समाज की समस्याओं के व्यवहारिक समाधान में करें ।
- 5. स्वयंसेवकों में सामाजिक समरसता, समझाव एवं राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों का अभ्यास बने ।
- 6. समूह में कार्य करने, दायित्वों में साझेदारी एवं नेतृत्व क्षमता का विकास हो ।
- 7. स्वयंसेवकों में लोकतांत्रिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना हो ।
- 8. आपातकालीन स्थिति में धैर्य, सूझबूझ एवं सहयोग करने का अभ्यास विकसित हो ।

उक्त बिन्दु कुछ संकेत मात्र हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्य वृहद परिप्रेक्ष्य में ऐसे अनेक विषयों को अंगीकार करता है जो व्यक्तित्व निर्माण एवं जनजागरण हेतु आवश्यक प्रतीत होते हैं। अतः समस्त समन्वयक, प्राचार्य एवं कार्यक्रम अधिकारी इस प्रस्तावना को हृदयंगम कर सत्र 2024–25 हेतु निर्धारित कार्ययोजना का आद्योपान्त अध्ययन कर प्रभावी अनुपालना सुनिश्चित करें।

जुलाई- 10 घंटे कार्य

1. छात्रों की सामान्य सभा कर नए छात्रों को राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की जानकारी देकर राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीयन हेतु प्रोत्साहित करना। इसके लिए नोटिस बोर्ड पर सूचना लगायें।
2. माय भारत पोर्टल पर संस्थाओं को नोलेज सेन्टर के रूप में, कार्यक्रम अधिकारियों का पार्टनर/वेरिफायर के रूप में तथा रा.से.यो. के स्वयंसेवकों का यूथ के रूप में पंजिकृत करें।
3. स्वयंसेवकों का पंजीयन कार्यक्रम (मेहनती एवं सेवा भावी छात्र-छात्राओं का ही चयन) आयोजित कर 31 जुलाई, 2024 तक चयन प्रक्रिया पूर्ण कर सूचित करें। प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त से पहले नामांकन की पूर्ण सूचना संबंधित समन्वयक एवं राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-4 अ) विभाग, शासन सचिवालय तथा क्षेत्रीय निदेशालय, राष्ट्रीय सेवा योजना, जयपुर को कॉलम 1–25 की सूचना निम्नानुसार प्रेषित करें। महाविद्यालय का डाटा बेस प्रत्येक इकाई के स्वयं सेवकों की सूचना MS Exel Sheet में Font type-Time New Roman में Font Size 12 में 1–25 कॉलम तक Soft Copy में ई-मेल आई.डी. slonssrajasthan@gmail.com पर भेजें।

टेबल परिशिष्ट '1' पर संलग्न है।

- उक्तानुसार सूची प्राप्त होने पर ही अनुदान राशि जारी की जायेगी।
4. माह अप्रैल से जून 2024 तक का त्रैमासिक प्रतिवेदन 15 जुलाई 2024 तक प्रेषित कर दें। महाविद्यालय स्तर पर सलाहकार समिति का गठन आवश्यक रूप से करें। प्राचार्य समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे तथा वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। वरिष्ठ संकाय सदस्य/स्थानीय विकास एजेन्सीज के प्रतिनिधियों/पूर्व स्वयंसेवकों/एनजीओ के प्रतिनिधि तथा स्थानीय प्रशासन एवं जन प्रतिनिधियों को समिति में सदस्य के रूप में लिया जाना चाहिए।
 5. सलाहकार समिति की प्रथम बैठक इसी माह में कर एनएसएस कार्ययोजना के अनुसार नियमित गतिविधियों, विशेष शिविर तथा अन्य सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिए वार्षिक योजना स्थानीय परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयार करें। समिति की कार्यवाही का रिकार्ड भी तैयार करें।
 6. **हरित राजस्थान सप्ताह (मानसून के समय)** **जुलाई माह में आयोजित कर:**—परिसर एवं गोद लिये हुये क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम वरिष्ठ स्वयंसेवकों एवं सामान्य छात्रों को जोड़ते हुए जल संरक्षण एवं प्रबंधन कार्यक्रम हाथ में लेना। इसके लिये जिला कलैक्टर, वन विभाग एवं कृषि विभाग/उद्यान विभाग आदि से सम्पर्क कर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं। **एक छात्र एक पौधा** के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पौधारोपण का कार्य किया जाना चाहिए। कुल लगाये गये पौधों की सूचना NSS. Plantataion 2024 & PVT college plantation 2024 Spreadsheet में प्रस्तुत करें। वृक्ष-संवर्द्धन के लिए छात्र/छात्रा की नाम पट्रिका लगायें। वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्द्धन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले स्वयंसेवक को “पर्यावरण मित्र” नामक प्रशस्ति पत्र प्रदान करना चाहिये। यदि कोई स्वयंसेवक पौधे लगाने के पश्चात 2–3 वर्ष तक इसकी देखभाल कर उसका संवर्द्धन करता है एवं इसी प्रकार वह अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरित कर पर्यावरण संरक्षण हेतु चेतना जागरण का कार्य करता है तो उसे वार्षिक समारोह में पर्यावरण मित्र नाम से प्रशस्ति पत्र प्रदान करना चाहिये। एनएसएस की प्रत्येक इकाई से एक स्वयंसेवक का चयन किया जा सकता है। बरसात में छत का पानी जमीन में जाये, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करें। लगाये गये पौधों की सुरक्षा एवं विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

7. गोद लिये गये गांव/बस्ती में जल संग्रहण एवं संवर्द्धन योजनाओं पर कार्य तथा जल स्रोतों की साफ सफाई हेतु जनजागरण एवं सहयोग।
8. 11 जुलाई को विश्वजनसंख्या दिवस पर जनसंख्या नियंत्रण हेतु रैलियां, विचार गोष्ठी, नुकड़ नाटक आदि के माध्यम से जनसंख्या शिक्षण एवं जनसंख्या नियंत्रण संबंधी उपायों पर जनजागरण अभियान चलाया जाये। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों द्वारा जनसंख्या नियंत्रण में योगदान संबंधी प्रतिज्ञा की जाये।
9. अन्य कार्यक्रमों के साथ ही अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह (8 से 14 जुलाई) के अन्तर्गत देश में साक्षरता के महत्व, साक्षरता के अभियान में युवाओं की भूमिका आदि पर रैलियां, व्याख्यानमालाएं आयोजित कर सप्ताह मनाना। एक छात्र एक को साक्षर करें (Each one Teach one)।
10. गोद ली गई बस्ती/ग्राम में सर्वशिक्षा अभियान की दृष्टि से स्कूल जाने योग्य बच्चों के शाला प्रवेश हेतु प्रयास करना। विशेष रूप से बालिका शिक्षा प्रोत्साहन की दृष्टि से उन्हें विद्यालय भेजने हेतु परिवारों से सम्पर्क एवं जन जागरण अभियान चलाना।
11. महाविद्यालय रुत्तर पर प्रथम एक दिवसीय कैम्प लगाकर इकाइयों द्वारा हरा भरा एवं स्वच्छ परिसर (Green and clean Campus) अभियान चलाया जाना चाहिए। इसमें अन्य छात्र/छात्राओं को भी सम्मिलित करें। वृक्षारोपण के साथ ही स्वच्छता युवा पीढ़ी के स्वभाव का अंग बने इस हेतु वर्ष पर्यन्त कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये। हमारा परिवेश सदैव स्वच्छ रहे इस हेतु यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के द्वारा उत्पन्न कचरे का उचित निस्तारण स्वयं करता चले तो किसी अभियान की आवश्यकता नहीं होगी। अतः **My garbage my responsibility** (मेरा कचरा, मेरी जिम्मेदारी) के भाव को अपने नित्य कर्म में शामिल करने का संदेश दिया जाये।
12. बेरोजगारी की समस्या विश्वव्यापी हो चली है ऐसे में युवाओं के कौशल विकास एवं इन्हें रोजगारक्षण बनाना ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। इस विषय को दृष्टिगत कर 15 जुलाई को “विश्व युवा कौशल दिवस” का आयोजन किया जाये। इसमें कौशल विकास के साथ—साथ स्वरोजगार के विषय भी शामिल किये जाने चाहिये। इस अवसर पर विद्यार्थियों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की युवाओं से संबंधित एवं रोजगार/ स्वरोजगार संबंधी योजनाओं की जानकारी भी दी जाये।

अगस्त 20 घंटे कार्य

राष्ट्रीय स्वाभिमान जागरण सप्ताह (9 अगस्त से 15 अगस्त तक)

1. 9 अगस्त से 15 अगस्त तक राष्ट्रीय स्वाभिमान जागरण सप्ताह का आयोजन किया जाये। जो 9 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन (Quit India Movement) दिवस से प्रारम्भ हो।
2. 15 अगस्त स्वाधीनता दिवस पर स्वतंत्रता आंदोलन के सैनानियों की भूमिका की जानकारी, उनका सम्मान एवं इस दिवस का महत्व बताना तथा कार्यक्रम आयोजित करना।
3. 20 अगस्त सद्भावना दिवस पर विचार गोष्ठी, रैलियों आदि का आयोजन करें।
4. महाविद्यालयों के कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा अगस्त माह में पंजीयन कार्य पूर्ण कर प्रवेशित स्वयंसेवकों की सूची एक्सल शीट में पूर्ति कर राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-4अ) विभाग, कमरा नं. 8313, एस.एस.ओ. भवन, शासन सचिवालय, जयपुर एवं क्षेत्रीय निदेशक, एनएसएस क्षेत्रीय निदेशालय केन्द्र, बी-7, देवनगर, टॉक रोड, जयपुर को आवश्यक रूप से soft copy Excel Sheet में slonssrajasthan@gmail.com, nssrajasthan@gmail.com तथा समन्वयक युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की आई.डी nssceraj@gmail.com पर सूचना प्रेषित करें तथा विभाग को भी दूरभाष पर सूचित करें।
5. अभिविन्यास कार्यक्रम—
राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत नये छात्रों को अभिप्रेरणा के लिए तीन दिवसीय अभिविन्यास (**Orientation**) कार्यक्रम रखा जाये, जिसमें निम्नलिखित विषयों की जानकारी दी जाये:-
 1. राष्ट्रीय सेवा योजना के उद्देश्य एवं गतिविधियाँ।
 2. केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी एवं सम्प्रेषण हेतु स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण।

3. साक्षरता एवं युवाओं की भूमिका ।
 4. जनसंख्या शिक्षा एवं परिवार कल्याण ।
 5. वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण ।
 6. नशा मुक्ति एवं पोलिथीन मुक्त परिसर ।
 7. स्वास्थ्य शिक्षा ।
 8. सामाजिक सेवा कार्यक्रम ।
 9. एड्स एवं कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण ।
 10. महिला एवं शिशु विकास— मॉ राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना ।
 11. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन की जानकारी ।
 12. जल प्रबन्धन एवं संवर्द्धन ।
 13. स्वच्छता के लिए कार्य योजना का निर्माण एवं निर्मल ग्राम योजना की जानकारी ।
 14. सद्भावना, भाईचारा एवं सर्वसमावेशी समाज ।
 15. देश का समग्र विकास एवं युवा ।
 16. उपभोक्ता जागरूकता एवं सूचना का अधिकार ।
 17. काम का अधिकार (मनरेगा) की जानकारी ।
 18. स्वरोजगार / उद्यमिता संबंधी जानकारी ।
 19. राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण में युवाओं की भूमिका ।
 20. हरित राजस्थान व युवाओं की भूमिका ।
 21. ग्राम स्वराज (पंचायती राज व्यवस्था) ।
 22. शिक्षा का अधिकार एवं युवा ।
 23. जैव विविधता ।
 24. स्वतंत्रता एवं समता का महत्व ।
 25. सहिष्णुता एवं धर्म निरपेक्ष समाज ।
- इन विषयों की जानकारी देने के लिए विषय विशेषज्ञों को भी बुलाया जाना चाहिए।

6. वृक्षारोपण का काम मानसून के अनुसार बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए।
7. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन— इकाइयों को राष्ट्रीय आपदा के समय सहयोग देने एवं सार्थक भूमिका निभाने के लिये तैयार रहना चाहिए। इसके लिये विशेषज्ञ व्यक्ति/एजेन्सियों/ स्थानीय प्रशासन के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं। अकाल, महामारी, बाढ़, भूकम्प, बम ब्लास्ट आदि की स्थिति में स्वयंसेवकों को इनसे निपटने के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये। जिलाधीश कार्यालय को एन.एस.एस. स्वयंसेवकों की सूची मय दूरभाष नम्बर व पते के सूचित करें जो कि राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन के लिए तैयार हैं।
8. गांवों एवं बस्तियों को गोद लेना एवं निर्धारित प्रपत्र एक्सल शीट पर इसकी सूचना संबंधित समन्वयक, राज्य सम्पर्क अधिकारी, शिक्षा (ग्रुप-4अ) विभाग, कमरा नं. 8313, एस.एस.ओ. भवन, शासन सचिवालय, जयपुर, क्षेत्रीय निदेशक, एनएसएस प्रादेशिक केन्द्र को भेजना। नये गाँव एवं नई बस्तियों का चयन कर उनमें कार्य करने की योजना बनायें।
9. पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरन्तर कार्य करें तथा गोद लिये गाँव या बस्ती को निर्धारित समय में पूर्ण साक्षर करें।
10. इकाइयों द्वारा स्वास्थ्य सेवा/अस्पताल सेवा में निम्नलिखित कार्य करने चाहिए:—
 1. योग विज्ञान तथा स्वास्थ्य ।
 2. स्वास्थ्य शिक्षा ।
 3. मलेरिया, डेंगू एवं स्वाइन फ्लू आदि मौसमी बीमारियों से बचाव हेतु जागृति कार्यक्रम
 4. एड्स नियंत्रण एवं जागृति कार्यक्रम
 5. समन्वित बाल विकास कार्यक्रम ।
 6. स्वरथ शिशु एवं स्वरथ मातृ शिक्षा
 7. कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जागरूकता
11. बाल विवाह प्रथा की रोकथाम

12. लैंगिंक जागरूकता पर कार्यक्रम
13. नशामुक्ति, तम्बाकू एवं गुटका निषेध हेतु कार्यक्रम आयोजित करना।
14. राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर एवं उनके अनुकूल प्रशिक्षण संबंधी जानकारी दी जाये।
15. लड़कियों एवं महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचार के रोकथाम हेतु आत्म रक्षा (Self Defence) संबंधी कोर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय विभागों के सहयोग से आयोजित किया जाये।
16. 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर युवाओं के जीवन में खेलकूद का महत्व विषय पर व्याख्यान / गोष्ठी आदि का आयोजन किया जा सकता है। खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जा सकता है।
17. बालिका शिक्षा जनजागरण अभियान।
18. महाविद्यालय स्तर पर गठित सलाहकार समिति की प्रथम बैठक इसी माह में एनएसएस कार्ययोजना के अनुसार नियमित गतिविधियों, विशेष शिविर गतिविधियों तथा अन्य सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के लिये वार्षिक योजना स्थानीय परिपेक्ष्य को ध्यान में रखते हुये तैयार करें। समिति की कार्यवाही का रिकॉर्ड भी तैयार करें।

सितम्बर 20 घंटे कार्य

1. जुलाई एवं अगस्त के शेष रहे कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जा सकता है।
2. **ग्राम/बस्ती समग्र विकास अभियान –** राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा ग्राम/बस्ती गोद लिये जाते हैं एवं इनमें विविध कार्यक्रम/सेवा कार्य किये जाते हैं। लेकिन इस बार गोद ली गई बस्तियों के समग्र विकास का अभियान चलाना है। इसमें स्वच्छता, साक्षरता/शिक्षा, स्वास्थ्य, कुरीति उन्मूलन, नागरिक दायित्व एवं अधिकारों की जानकारी, डिजिटल साक्षरता, सांस्कृतिक उत्थान के कार्यक्रमों के साथ ही ग्राम/बस्ती में मूलभूत सुविधाओं संबंधी सर्वे कर बस्ती/गाँव के मुखिया के सहयोग से स्थानीय निकाय/जनप्रतिनिधियों को आवश्यक कार्यों की सूची देकर उन्हें पूर्ण करवाने के प्रयास आदि करने हैं। ताकि हमारे द्वारा हाथ में लिये गये कार्य का परिणाम दृष्टिगोचर हो।
3. 5 सितम्बर शिक्षक दिवस का आयोजन।
4. 8 सितम्बर को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाना। इस दिन शिक्षा का अधिकार (Right To Education) विषय पर एक व्याख्यान आयोजित किया जाये। जिसमें एक शिक्षाविद् को अमंत्रित कर सभी स्वयंसेवकों को इस कानून के इतिहास व उद्देश्य से परिचित कराया जाये।
5. उपलब्धियों के अपेक्षित स्तर का प्रतिवेदन प्रेषित करें।
6. जिला विकास एजेंसीज के साथ समन्वय करके द्वितीय एक दिवसीय कैम्प गोद लिये गये गांव/बस्ती में लगाना जिसमें सामाजिक कुरीतियाँ एवं इनके निवारण, शिक्षा का महत्व, सामाजिक समरसता आदि के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाये।
7. भ्रष्टाचार के विरुद्ध जनजागरण अभियान, स्वयं सहायता समूह के प्रति जन-जागरूकता विकसित की जानी है।
8. सड़क सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन करना व्याख्यान, विवज, शोर्ट डॉक्यूमेन्ट्री, वीडियो, श्लोगन राइटिंग तथा पोस्टर मेकिंग आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। स्वयंसेवकों में से ट्रैफिक वार्डन की नियुक्ति एवं ट्रैफिक क्लब का गठन किया जाये तथा जहां उपलब्ध हो ट्रैफिक पार्क का भ्रमण भी कराया जायें।
11. सड़क दुर्घटना में घायल की सहायता करने वाले मददगार (Good Samaritan) का प्रशिक्षण एवं घायलों की रक्षार्थ एवं हितार्थ माननीय उच्चतम न्यायालय और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान करने संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाये।

12. यह वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना की स्थापना का 55वां वर्ष है। अतः कार्यक्रमों की रूपरेखा ही इस प्रकार बनायी जाये जिससे कि आम विद्यार्थियों/जनमानस को भी राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा किये जाने वाले कार्यों की जानकारी मिल सके। इस हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना की संकल्पना, इतिहास, कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं उपलब्धियां बताये जाने हेतु संस्था स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायें। इसमें संगोष्ठी, कार्यशाला, रैली, स्वंयसेवकों हेतु विभिन्न प्रतियोगितायें आदि की जा सकती हैं।

अक्टूबर— 20 घंटे कार्य

1. जुलाई से सितम्बर का त्रैमासिक प्रतिवेदन राज्य समन्वयक, राज्य सम्पर्क अधिकारी एवं क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना को भेजें।
2. 1 अक्टूबर — राष्ट्रीय रक्तदान दिवस पर स्थानीय चिकित्सा विभाग तथा रेड कॉस की सहायता से रक्तदान शिविर आयोजित कर रक्तदान करना। रक्तदान का प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त करें एवं रक्तदान की रिपोर्ट एवं रक्तदाताओं की सूची प्रादेशिक केन्द्र व राज्य सम्पर्क अधिकारी को भिजवायें। यह दिन अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में भी मनायें।
3. 2 अक्टूबर (महात्मा गांधी की 152 वीं जयति वर्ष) को गांधी सुभिरन दिवस के रूप में मनायें। इस दिन महात्मा गांधी के जीवन दर्शन पर वार्तायें आयोजित कर. प्रभात फैरी निकालकर सद्भावना के संदेश को जन—जन तक पहुँचाना चाहिये। सामाजिक समरसता, अस्पृश्यता निषेध एवं स्वच्छता से संबंधित गांधीजी की नीतियों को जन—जन तक पहुँचाने के दृष्टिकोण से जनजागरण कार्यक्रम आयोजित किये जायें।
4. गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी हेतु शिविर का आयोजन करने के लिए आयुक्तालय/राज्य सम्पर्क अधिकारी के निर्देशानुसार तैयारी करना।
5. इसी माह घरेलू कुटीर उद्योग/कौशल विकास/उद्यमिता से संबंधित आवश्यकतानुसार 5 से 10 दिवस के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करें।
6. 31 अक्टूबर करे राष्ट्रीय अखण्डता दिवस (National Intigration Day) एवं राष्ट्रीय एकता दिवस (National Unity Day) के रूप में कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय अखण्डता एवं एकता की शपथ दिलवाई जायें।

नवम्बर— 20 घंटे कार्य

1. 19—25 नवम्बर कौमी एकता सप्ताह के रूप में निम्नानुसार मनायें—
 1. 19 नवम्बर राष्ट्रीय एकता दिवस, धर्म निरपेक्षता, गैर साम्प्रदायिकता एवं अहिंसा विषयों पर सभायें, विचार—गोष्ठी, सम्मेलन आदि आयोजित करने चाहिये तथा राष्ट्रीय एकता की शपथ ग्रहण कराई जाये।
 2. 20 नवम्बर को अल्पसंख्यक कल्याण दिवस के रूप में मनाया जाये।
 - जनजागरण अभियान के तहत कल्याण कार्यक्रमों की जानकारी
 - दंगाग्रस्त क्षेत्रों में शांति मार्च, सद्भावना सभायें आयोजित करना
 3. 21—22 नवम्बर को कमजोर वर्ग दिवस के रूप में मनाया जाये।
 4. 23 नवम्बर को सांस्कृतिक एकता दिवस पर सांस्कृतिक एकता को प्रोत्साहित एवं उन्नत करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जायें।
 5. 24 नवम्बर को महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जायें।
 6. 25 नवम्बर को “महिलाओं के विरुद्ध हिंसा” विरोधी अन्तर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण से संबंधित विषयों पर विचार गोष्ठी, सम्मेलन, रैलियॉ, व्याख्यान आदि का आयोजन किया जाये।
2. 26 नवम्बर “संविधान दिवस” के अवसर पर इसके महत्व एवं इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान करने के साथ ही आम नागरिकों में भारत के संविधान के प्रति

जागरूकता एवं जानकारी में वृद्धि की दृष्टि से कार्यक्रम आयोजित किये जायें। संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान की उद्देशिका (Preamble) को सम्मानपूर्ण तरीके से संस्था के नोटिस बोर्ड पर विद्यार्थियों द्वारा पढ़े जाने के निर्देश के साथ लगायें एवं सामूहिक कार्यक्रमों में इसका सटीक भावार्थ सहित वाचन किया जाये। इस अवसर पर भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा एवं समर्पण से संबंधित शपथ भी गृहण करवाई जाये। इसके साथ ही भारत के संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों को भी नोटिस बोर्ड पर लगाया जाये एवं इनके प्रति स्वयं सेवकों को जागरूक किया जाये। इस दिन ‘सूचना का अधिकार’ विषय पर एक वाद-विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाये।

3. बाल श्रम के विरोध में जनजागरण के कार्यक्रमों का आयोजन।

दिसम्बर— 20 घंटे कार्य

1. 1 दिसम्बर को **विश्व एड्स दिवस** पर एड्स की रोकथाम, बचाव आदि पर जन जागरण हेतु विचार-विमर्श, फ़िल्म शो, रैली, नुक़्क नाटक आदि के द्वारा गोद ली गई बस्तियों/गांवों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जा सकते हैं। इस दिवस पर पोस्टर प्रतियोगिता, निबन्ध प्रतियोगिता भी आयोजित की जाये।
2. 10 दिसम्बर को **विश्व मानवाधिकार दिवस** पर व्याख्यान, निबन्ध प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी, रैली आदि आयोजित करना। (यह कार्य महाविद्यालय में संचालित मानवाधिकार क्लब के साथ मिलकर करें)।
3. दिसम्बर माह में छात्रों के लिए स्थानीय उद्योगों/प्लसमेंट एजेंसीज / एनजीओ से सम्पर्क कर चयन हेतु कैम्पस इन्टरव्यू आयोजित किये जाये। रोजगार मेले आयोजित करें। यह कार्य महाविद्यालय में संचालित प्लेसमेंट सैल के साथ मिलकर करें अथवा उनके द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहयोग प्रदान करें।
4. ऊर्जा संरक्षण एवं कृषि विकास जैसे विषयों की जानकारी भी दी जाये।
5. 24 दिसम्बर को उपभोक्ता के संरक्षण एवं अधिकारों संबंधी विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करें। यदि महाविद्यालय में उपभोक्ता क्लब संचालित है तो यह कार्यक्रम उसके साथ मिलकर करें।
6. इस माह में ‘सोशल मीडिया के प्रभाव’ विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाये।

जनवरी एवं फरवरी— 10 घंटे कार्य

1. त्रैमासिक प्रतिवेदन भेजना (अक्टूबर से दिसम्बर तक) 8 जनवरी तक भेजें।
2. **राष्ट्रीय युवा सप्ताह (12 से 19 जनवरी)**
 - 1 12 जनवरी को विवेकानन्द जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाये। स्वामी विवेकानन्द जी के जीवन व उनके समाजवादी दर्शन पर व्याख्यान व विचार गोष्ठी एवं भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित की जाये।
 2. “स्वामी विवेकानन्द एवं युवा” विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन अवश्य करें।
3. 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस मनाया जाये। मतदान के प्रति जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित करें। समय-समय पर भारत निर्वाचन आयोग की थीम “My Vote is my Future-Power of One Vote” के बारे में जानकारी एवं वोटर हैल्पलाइन एप से मतदाता सूची में पंजीकृत कराने व वोटर कार्ड में संशोधन इत्यादि की जानकारी प्रदान करें।
4. 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेना।
5. यातायात विभाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा सप्ताह के कार्यक्रमों में अपेक्षानुरूप सहयोग प्रदान करने के साथ ही महाविद्यालय स्तर पर भी यातायात नियमों के बारे में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करें।

6. 30 जनवरी शहीद दिवस मनाना। इस अवसर पर भारतीय सेना के पराक्रम संबंधी विषयों पर व्याख्यान / संगोष्ठी / चर्चा आदि के कार्यक्रम किये जायें।
7. जिन स्वयंसेवकों द्वारा 240/120 घंटे के कार्य नहीं किये गये हैं, उनके लिये इस अवधि में शेष वांछित समय/घंटों का कार्य करना।

मार्च एवं अप्रैल (परीक्षा काल)

1. 8 मार्च को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं से संबंधित निम्नलिखित विभिन्न विषयों पर कार्यक्रम आयोजित कर यह कार्य महाविद्यालय में संचालित महिला प्रकोष्ठ के साथ मिलकर करें।
 - 1 जागरूक महिला, सुरक्षित महिला— इस विषय पर व्याख्यान/ कार्यशाला का आयोजन किया जाये। इसमें महिलाओं द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानी अपनाने एवं उनकी सुरक्षा हेतु उपलब्ध डिजिटल विधाओं की जानकारी/प्रशिक्षण को भी शामिल किया जाये।
 - 2 महिला विधिक जागरूकता संबंधी व्याख्यान
 - 3 महिलाओं की राष्ट्रीय विकास में भूमिका
 - 4 महिला सशक्तिकरण
 - 5 पंचायती राज एवं महिला
 - 6 महिला शिक्षा
 - 7 महिला स्वास्थ्य शिक्षा
 - 8 सामाजिक कुरीतियों के निवारण में महिलाओं की भूमिका
 - 9 कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जन जागरण अभियान
2. राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस (16 मार्च) पर जागरूकता कार्यक्रम।
3. 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में पृथ्वी के संरक्षण – विषय पर व्याख्यान/गोष्ठी का आयोजन।
4. 24 अप्रैल को “पंचायती राज दिवस” का आयोजन किया जाये। इस अवसर पर सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हुए ग्राम स्तर तक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना एवं इनके माध्यम से विकास की अवधारणा के संबंध में विद्यार्थियों को जानकारी देनी चाहिये।
5. अगले सत्र के लिए गोद लिये जाने वाले गांव/ बस्तियों की पहचान।
6. साक्षरता अभियान के लिये स्वयंसेवकों को तैयार करना, ताकि वार्षिक परीक्षाओं की समाप्ति पर इस अभियान में भाग ले सकें। इसके लिये जिला साक्षरता समिति के साथ समन्वय कर कार्य किया जा सके।
7. इकाई स्तर पर सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जाये, जिससे वर्ष भर में की गई गतिविधियों की समीक्षा की जाये तथा ग्रीष्मावकाश में व्यक्तित्व विकास से संबंधित गतिविधियां आयोजित करने की योजना बनानी चाहिए।
8. उपलब्धियों के अपेक्षित स्तर का मासिक प्रतिवेदन अवश्य भेजना।
9. स्वरोजगार के संबंध में की गई प्रगति से अवगत करावे।
10. अप्रैल माह में लेखा विवरण, त्रैमासिक रिपोर्ट (जनवरी से मार्च) एवं अन्य विवरण तैयार कर आवश्यक रूप से कार्यक्रम समन्वयक राज्य सम्पर्क अधिकारी कार्यालय एवं क्षेत्रीय निदेशक को 20 अप्रैल तक भेज दें।
11. योग्य स्वयंसेवकों के प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में तैयार कर, प्रति हस्ताक्षर हेतु समन्वयक को ही प्रेषित करें राज्य सम्पर्क अधिकारी कार्यालय को न भेजें।

- 12 राष्ट्रीय एकता शिविर, साहसिक कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिविर, प्रस्ताव तैयार करने हेतु राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय निदेशालय से प्रस्ताव फार्म एवं मार्ग दर्शन प्राप्त करें। उपलब्धियों के अपेक्षित स्तर का मासिक प्रतिवेदन अवश्य भेजना।

मई एवं जून— 10 घंटे कार्य (ग्रीष्मावकाश)

1. वार्षिक परीक्षा की समाप्ति पर साक्षरता अभियान चालू रखना।
2. शुद्ध जल एवं जल संरक्षण हेतु युवाओं को जोड़ें।
3. साक्षरता अभियान पर प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित समन्वयक को भेजना।
4. 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाये।
5. पृथ्वी पर पक्षियों की संख्या निरन्तर कम होती जा रही है। जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से यह चिंतनीय है। अतः ग्रीष्म ऋतु में पक्षियों हेतु परिंदे बांधने संबंधी कार्यक्रम/जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाने चाहिए।
6. 31 मई को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस मनाया जाये।
7. 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर सभी स्वयंसेवकों द्वारा “एक यूथ—एक पौधा” कार्यक्रम के तहत एक—एक पौधा लगाना, विचार गोष्ठी, रैलियां आयोजित करना। कृषि विभाग, वन विभाग आदि के सहयोग से ये कार्यक्रम आयोजित किये जायें।
8. ग्रीष्मावकाश में जल संग्रहण एवं प्रबन्ध पर कार्यक्रम।
9. अकाल/बाढ़ जैसी स्थिति में राहत कार्यक्रमों में सहभागिता।
10. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का मूल्यांकन।
11. कुष्ठ रोग का उन्मूलन एवं विस्थापित कुष्ठ रोगियों को पुनः जीवन धारा में लाने के प्रयास किये जाये।
12. योग विश्व को भारत की देन है। अंतराष्ट्रीय समुदाय ने 21 जून को अंतराष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया है। अतः इस उपलक्ष्य में 21 जून को योग का मानव जीवन में महत्व एवं भारत सरकार द्वारा जारी “कॉमन योग प्रोटोकाल” के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायें।

नोट:- नियमित गतिविधियां, विशेष शिविर एवं अन्य विशेष कार्यक्रमों के दौरान निम्नलिखित को भी प्राथमिकता से जोड़ा जाये:-

1. वर्ष 2024–25 के दौरान आयोजित होने वाली राष्ट्रीय सेवा योजना की नियमित गतिविधियों एवं सात दिवसीय विशेष शिविर निम्नलिखित थीम पर आयोजित किये जायेंगे।
 - i. मेरा युवा भारत
 - ii. डिजीटल साक्षरता के लिये युवा
2. शारीरिक व्यायाम कार्यक्रम शुरू करें।
3. वृक्षारोपण एवं पर्यावरण संरक्षण
4. परिसर विकास— स्वच्छ एवं हरा भरा परिसर
5. जनसंख्या शिक्षा एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम पर जन जागृति।
6. जल संरक्षण एवं संवर्द्धन पर जन जागरण अभियान
7. कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध जन जागरण
8. शिक्षा के प्रति जागरूकता
9. टीकाकरण के प्रति जागरूकता।
10. यातायात सुरक्षा के नियमों एवं कानूनों की जानकारी ई—कापी द्वारा प्रदान करना।
11. रोड ऐक्सीडेन्ट में दुर्घटना में शिकार की मदद करने वाले को पुरस्कृत करना।

12. वृद्धजनों के उत्थान हेतु विभिन्न कार्यक्रम यथा वृद्धाश्रमों की संभाल, वृद्धों की सहायतार्थ स्वयंसेवी समूह का गठन, गोद लिये गये गांव/बस्ती के वृद्धों की सूची तैयार कर उनके स्वास्थ्य की संभाल, वृद्धों की संभाल हेतु जनजागरण, वृद्धों की आवश्यकता की वस्तुयें जनता से एकत्रित कर वृद्धों को वितरण करना, अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर वृद्धों के लिये नेत्र जांच एवं शल्य क्रिया, रक्तचाप, मधुमेह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन आदि।

विशेष शिविरों का आयोजन—

राष्ट्रीय सेवा योजना की प्रत्येक इकाई द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का निम्नलिखित थीम – मेरा युवा भारत एंव डिजीटल साक्षरता के लिये युवा पर आयोजन किया जाना अनिवार्य है। जिन इकाइयों द्वारा विशेष शिविर आयोजित नहीं किया जायेगा, उनके कार्यक्रम अधिकारियों को मानदेय देय नहीं होगा साथ ही विभागीय कार्यवाही भी प्रारम्भ होगी।

विशेष शिविर के आयोजन के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों की पालना की जाये—

1. विशेष शिविर गोद लिये गये गांव/बस्ती में ही आवासीय एवं सात दिन के लिए लगाये जाये।
2. राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य सेवा कार्यों के साथ-साथ विभिन्न विषयों पर समाज को जागरूक एवं जागृत करना है। यह भी समाज सेवा का एक स्वरूप है। केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जाता है लेकिन जो लोग इनका लाभ ले सकते हैं उनमें से अनेक लोगों को इनकी जानकारी नहीं होती है। हमें उन तक उनसे संबंधित लाभकारी जानकारी पहुँचानी है। पूर्व की भौति इस वर्ष भी केन्द्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का सम्प्रेषण शिविर के अन्तर्गत किया जाये।
3. उक्त कार्य हेतु कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा गोद लिये ग्राम/बस्ती में निवास करने वाले नागरिकों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर स्वयंसेवकों को इनके सम्प्रेषण हेतु प्रशिक्षित करना है। राजस्थान सरकार की योजनाओं हेतु www.ibs.rajasthan.gov.in एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं हेतु www.india.gov.in/my-government/schemes पर सर्च कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं के स्तर पर संबंधित विभागों से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
4. स्वयंसेवक, नागरिकों को सरल भाषा में योजनाओं एवं उनके लाभ के बारे में बतायें एवं कहों जाना, किससे मिलना, एवं क्या कार्यवाही करनी आदि जानकारी प्रदान करें।
5. जो स्वयंसेवक मोबाइल का उपयोग करते हैं उन्हें [mygov.in application](http://mygov.in) के बारे में जानकारी देनी चाहिये ताकि उन्हें समय समय पर जारी होने वाली लाभदायक योजनाओं का अपडेट मिलता रहे।
6. ग्राम/ बस्ती समग्र विकास अभियान के अन्तर्गत हाथ में लिये गये कार्यों को पूर्णता प्रदान करने संबंधी कार्य योजना बनाकर कार्य सम्पन्न किया जाये।
7. विशेष शिविर यथासंभव दीपावली/शीतकालीन अवकाशों को समायोजित करते हुए ही लगाये। विशेष परिस्थितियों में 31 जनवरी 2025 तक की अनुमति दी जा सकती है।
8. शैक्षणिक सत्र 2024–25 में अवकाश प्रदेश नीति अनुसार रहेंगे।

09. विशेष शिविरों में प्रति इकाई 50 स्वयंसेवक रखने चाहिए। इनसे ज्यादा नहीं, क्योंकि भारत सरकार द्वारा विशेष शिविर हेतु केवल 50 स्वयंसेवकों का ही अनुदान दिया जाता है।
10. विशेष शिविरों के व्यापक निरीक्षण की योजना बनायी गई है। अतः शिविर का निरीक्षण अवश्य करायें। इसके लिए तिथियों एवं स्थान की सूचना अग्रिम रूप से संबंधित समन्वयक, राज्य सम्पर्क अधिकारी एवं क्षेत्रीय निदेशक को अवश्य दें।
11. विशेष शिविर, पूर्णकालिक एवं आवासीय शिविर होते हैं अतः रात्रिकालीन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होनी चाहिए।

12. प्रतिदिन सायंकाल को राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन आदि का संदेश युक्त सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करें।

नोट:- राष्ट्रीय सेवा योजना से संबंधित महाविद्यालय निर्धारित एन.एस.एस से संबंधित कार्य योजना के अतिरिक्त भारत सरकार/राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवस

क्र.सं.	दिवस	तिथि
1.	राष्ट्रीय युवा दिवस	12 जनवरी
2.	राष्ट्रीय मतदाता दिवस	25 जनवरी
3.	गणतंत्र दिवस	26 जनवरी
4.	शहीद दिवस	30 जनवरी
5.	अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस	8 मार्च
6.	राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस	16 मार्च
7.	विश्व स्वास्थ्य दिवस	7 अप्रैल
8.	विश्व पृथ्वी दिवस	22 अप्रैल
9.	पंचायती राज दिवस	24 अप्रैल
10.	आतंकवाद विरोधी दिवस	21 मई
11.	जैव विविधता दिवस	22 मई
12.	विश्व तम्बाकू निषेध दिवस	31 मई
13.	विश्व साइकिल दिवस	3 जून
14.	विश्व पर्यावरण दिवस	5 जून
15.	विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस	12 जून
16.	अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस	21 जून
17.	अन्तर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस	26 जून
18.	विश्व जनसंख्या दिवस	11 जुलाई
19.	विश्व युवा कौशल दिवस	15 जुलाई
20.	भारत छोड़ो आंदोलन दिवस/आदिवासी दिवस	9 अगस्त
21.	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त
22.	सद्भावना/अक्षय ऊर्जा/शिक्षा अधिकार दिवस	20 अगस्त
23.	राष्ट्रीय खेल दिवस	29 अगस्त
24.	शिक्षक दिवस	5 सितम्बर
25.	अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस	8 सितम्बर
26.	राष्ट्रीय सेवा योजना दिवस	24 सितम्बर
27.	राष्ट्रीय रक्तदान दिवस/अन्तर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस	1 अक्टूबर
28.	अन्तर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस	2 अक्टूबर
29.	विश्व खाद्य दिवस	16 अक्टूबर
30.	राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय अखण्डता दिवस	31 अक्टूबर
31.	अन्तर्राष्ट्रीय “महिलाओं के विरुद्ध हिंसा” विरोधी दिवस	25 नवम्बर
32.	संविधान दिवस	26 नवम्बर
33.	विश्व एड्स दिवस	1 दिसम्बर
34.	विश्व मानवाधिकार दिवस	10 दिसम्बर
35.	राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस	24 दिसम्बर

नोट:- उक्त दिवसों एवं इनसे संबंधित संक्षिप्त जानकारी एक पोस्टर के रूप में “राष्ट्रीय सेवा योजना” हेतु निर्धारित सूचना पट्ट पर आवश्यक रूप से लगायें।

सप्ताह / पखवाड़ा

1.	हरित राजस्थान सप्ताह	जुलाई माह में (मानसून के अनुसार)
2.	अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता सप्ताह	8–14 जुलाई
3.	कौमी एकता सप्ताह	19–25 नवम्बर
4.	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह	11–17 जनवरी
5.	राष्ट्रीय युवा सप्ताह	12–19 जनवरी
6.	नशामुक्त भारत पखवाड़ा	12–26 जून

महत्वपूर्ण पते:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय सेवा योजना, क्षेत्रीय निदेशालय बी-7, देव नगर, टोक रोड, जयपुर –302018
2. राज्य सम्पर्क अधिकारी, राष्ट्रीय सेवा योजना, शिक्षा (ग्रुप-4अ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर 302005।
3. राज्य समन्वयक, युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

परिणिष्ठ “1”

S. No .	District	Name of Institution s	Address of Institution s	Institution s E-Mail I.D.	Institution s Landline Number with STD Code and Social media Handle (Twitter, Insta, FB)	Name of the Institution s Head/ Principal	E-Mail I.D. of the Head / Principal	Mobile number of Head/ Principal	Name of Programme Officer with Teaching Subject	Date of Appointment of Programme Officer	Untrained/ If Trained give date of Training	E-Mail I.D. of Programme Officer	Mobile number of Programme Officer
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Unit Numbers	Name of Adopted Village/Slum	Name of Volunteer	Father's Name	Gender	Date of Birth	Class	E-Mail I.D. of Volunteer	Mobile number of Volunteer	Aadhar Number	Category
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

एन.एस.एस. के ऐसे स्वयंसेवक /स्वयंसेविका जिन्होंने दो वर्ष में 240 घंटे के सामाजिक कार्य तथा एक 7 दिवसीय विशेष शिविर पूर्ण कर लिया है उनको डिजिलॉकर के माध्यम से ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला समन्वयको को भेजी जाने वाली एक्सेल शीट का प्रारूप निम्नानुसार है—

परिशिष्ठ “2”

ORG_NAME	ORG_ADDRESS	ORG_CITY	ORG_STATE	ORG_PIN	STD	REGN_NO	RROLL	CNAME	GENDER
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DOB	GNAME	MRKS_REC_STATUS	RESULT	YEAR	CERT_NO	SEM	FROM	TO	CAMP_FROM
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

CAMP_TO	CAMP_LOCATION	AADHAAR_NAME
21	22	23

नोट— वर्ष 2024–25 के प्रमाण—पत्र हेतु पात्र स्वयं सेवक /स्वयं सेविकाओं की सूचना जिला समन्वयक संबंधित कार्यक्रम अधिकारियों से प्राप्त कर उपरोक्त एक्सेल शीट में भरकर राज्य समन्वयक, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को ईमेल आई.डी. nsscerceraj@gmail.com पर 30 अप्रैल 2025 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।